[illegible] संख्या ::– 120/2015

[illegible] पिता उदा जी गुर्जर निवासी सहाडा तहसील बेगूँ

वादी

बनाम

1/1–अर्जुन पिता जग्गा गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
1/2–प्रकाश पिता जग्गा गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
1/3–गीता पुत्री जग्गा गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
हा.मु. पत्नी नंदा गुर्जर निवासी सारण तह0 बेगूँ
1/4–श्रीमति राजीबाई पत्नी जग्गा गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
2– रूकमाबाई पुत्री उदा गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
हा.मु. पत्नी गिरधारी गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
3– चन्दरूबाई पिता उदा जी गुर्जरी निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
हा0मु0 पत्नी घीसा जी गुर्जर निवासी राजगढ तह0 बेगूँ
4– बालीबाई पिता उदा गुर्जर निवासी सहाडा हा0मु0 पत्नी नारायण गुर्जर निवासी दुगार तह0 बेगूँ
5– देउबाई पिता उदा जी गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ हा0मु0 पत्नी हीरा जी गुर्जर निवासी पारसोली तह0बेगूँ
6– लाली पिता बख्तावरजी गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
7– बरजी पिता बख्तावरजी गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
8– प्रहलाद पिता नारायण गुर्जर नाबालिग जरिये माता चांदीबाई पत्नी नरायण गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
9– शंभु पिता नारायण गुर्जर नाबालिग जरिये माता चांदीबाई पत्नी नरायण गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
10– हीरूबाई पिता नारायण गुर्जर नाबालिग जरिये माता चांदीबाई पत्नी नरायण गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
11– चांदीबाई पत्नी नारायण गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
12– राजुसिंह पिता लादूसिंह राजपूत निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
13– गजेन्द्र सिंह पिता लादूसिंह राजपूत निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
14– रूप कंवर पत्नी लादूसिंह राजपूत निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
15– मांगीलाल पिता भैरू गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
16– जेती पुत्री भैरू गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
17– कालू पिता रूपा जी गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
18– घीसा पिता रूपा जी गुर्जर निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
19– लक्ष्मणसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी तेजाजी का चौक प्रतापनगर चितौडगढ़
20– लाडबाई पत्नी भगवानलाल सुथार निवासी सहाडा तह0 बेगूँ
21– श्री शाखा प्रबधक पंजाब नेश्नल बैंक शाखा राजगढ.
22– श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित::– श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक:– 27.10.2023

निर्णय वाद पत्र अ0धा0 53–88 [illegible] अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से वाद पत्र अ.धा. 53–88 राज0का0श्त0अधि[illegible] तहत अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार [illegible] प0ह0 ई[illegible] खतौनी संख्या 27 में निम्न कृषि आराजीयात [illegible] 1 से 5 के पैत्रिक [illegible] आधिपत्थ्य की है जो वर्तमान में केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। कृषि आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार से है:–

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
56	0.2100
57	0.0570
58	0.0810
59	0.2830
60	0.2020
61	0.2100

195	
196	0.3960
197	0.6650
198	0.7110
199	0.7780
200	1.0110
201	0.4770
202	0.0240
203	0.0160
204	0.2510
205	0.4210
206	0.0240
207	0.0240
208	0.0570
209	0.3970
210	0.1290
211	0.1050
	1.4680
किता–24	8.1430 हैक्टर

वादी एव प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार से है:–

देवीलाल फोत

उदा	बख्तावर	भैरू	रूपा
जग्गा	लाली	नारायण	कालू, घीसा
धन्ना	बरजी	प्रहलाद, शंभु, हीरूबाई	
रूकमा	हरकू		
ंदरू	धन्ना		
ाली			
उ			

यह कि कलम नं0 1 में वर्णित कृषि आरीयात मौजा सहाडा प0ह0 दुगार की खतौनी संख्या
व 3 में वादी के मृतक पिता श्री उदा बख्तावर भैरू रूपा पिता देवी गुर्जर ... र है नाम
र्ज रेकार्ड है जिसमें वादी के पिता उदा की मृत्यु पश्चात विरासत से ... रण संख्या 31
नांक 06.11.1981 को खोला गया जिसमें मृतक उदा के सभी वारिसान ... संख्या 2
5 के नाम नामान्तरण नहीं खोल केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खोल दिया गया था जो
ास्व कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 1 मिलकर किया है। ... कि मृतक उदा के प्रतिवादी संख्या 1
अलावा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 भी विधिक वारिसान है जिनका ना... मृतक खातेदार की
ु पश्चात विरासत के नामान्रतण में लगना चाहिए था परन्तु पटवार हल्का ने पूर्ण जॉच पडताल नहीं
केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर ही नामान्तरण खोल दिया जो वादी के मुकाबले प्रारम्भ से ही
य है एवं निष्प्रभावी है एवं राजस्व कर्मचारियों की गलती का परिणाम है।

यह कि वर्णित कृषि आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 तक का जन्म से ही
कार निहित है इसलिए वाद वर्णित कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम दर्ज
जाने की घोषणा हेतु वादी का यह वाद पत्र प्रस्तुत है। यह कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात में
का 1/24 व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/24, 1/24 हक हिस्सा निहित होकर इसी
ार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज हो काश्त कर रहे है ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

...संख्या 6 में अंकितानुसार वाद एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से ... कृषि आराजीयात का वाद पत्र की बुरी भूमि का काबिजानुसार विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान फरमाई जावें।
3– कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।
4– कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी जग्गा एवं उनके वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के.बिल्लू द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा सजरा गलत बनाया गया है नानी मेरी बहिन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण वाद पत्र काबिल खारिज है। नामान्तरण संख्या 31 दिनांक 06.11.81 को खोला गया जो सही खोला गया है यदि इन्तकाल पर कोई आपत्ति थी तो इन्तकाल की अपील करनी चाहिए थी। वादी का वादपत्र काबिज खारिज है। पत्रावली में शेष प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आए ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत जवाबदावा के अनुसार निम्न लिखित तनकी पत्र कायम किया गयाः–
1– आया कि मौजा सहाडा प.ह. ईटावा की आराजी संख्या 56 से 63. 196 से 211 कुल किता– 24 रकबा 8.1430 हैक्टर में मृतक उदा जी के समस्त वारिसान का नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त कर पाने के वादी अधिकारी है। साथ ही बाद घोषणा उक्त वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजीयात का वाद पत्र की कलम संख्या 6 में अंकितानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का काबिजानुसार विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति का पाने के वादी अधिकारी है? वादी
2– आया कि वाद पत्र में सजरा गलत बनाया है, नानी मेरी बहिन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण वाद पत्र काबिल खारिज है। नामान्तरण संख्या 31 दिनांक 06.11.81 को खोला गया जो सही खोला गया है यदि इन्तकाल पर कोई आपत्ति थी तो इन्तकाल की अपील करनी चाहिए थी। वादी का वादपत्र काबिज खारिज है? प्रतिवादी

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी धन्नालाल पिता उदा एवं गवाह भगवतसिंह एवं रतनलाल के प्रस्तुत किये जिस पर धन्नालाल से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06.10.2021 को कर बयान वादी के कलमबद्ध कराये एवं वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया है। दिनांक 20.12.2021 को गवाह भगवतसिंह एवं रतनलाल से जिरह अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा की जाकर उनके बयान कलमबद्ध कराये गये। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दावा प्रतिवादी की ओर से हिदायत पैरवी नहीं किये जाने का अंकन पत्रावली पर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आने से मामला एक तरफा कार्यवाही किये जाने का न्यायालय द्वारा किया गया। पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने एवं प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने एवं कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दावा पत्रावली में एक तरफा बहस अधिवक्ता वादी की ध्यानपूर्वक सुनी गई जिन्होने अपनी बहस दावा पत्रावली अनुसार करते हुए सजरे अनुसार वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा होना दर्शाया है तथा वर्णित कृषि आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने से वादी का नाम उक्त आराजीयात में घोषित करने का निवेदन किया है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 31 जो प्रदर्श 1 का अवलोकन किया जिसमें उदा व बख्तावर पिता भैरू की विरासत से खोला गया नामान्तरण में जग्गा पिता उदा, 1/4लाली बरजी हरकू धन्नी पिता बख्तावर1/4 एवं भैरू, रूपा पिता देवी 1/2 का अंकन किया गया है, सजरा अनुसार उदा के शेष पुत्रो का अंकन नहीं है। नकल जमाबंदी प्रदर्श–3 व 4 है जिसमें नामान्तरण अनुसार अंकन किया हुआ है। वर्तमान नकल जमाबंदी प्रदर्श– 5 है जिसमें वर्णित कृषि आराजीयात के जग्गा पिता उदा का 1/4 हिस्सा अंकित है। राजस्व अभियान में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल ही जो कि प्रदर्श–6 है, धन्ना का पहचान पत्र प्रदर्श–7 है, धन्ना का आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–8 है। परिवार राशनकार्ड की प्रति प्रदर्श–9 है, पर्चामौका पटवार हल्का ईटावा का दिनांक 28.05.15 का प्रदर्श– 11 एवं रिपोर्ट पटवारी प्रदर्श–10 है। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नही ना ही प्रतिवादी उपस्थित आए है, वादीगण की साक्ष्य [illegible] अनुसार वाद वर्णित कृषि आराजीयात देवीलाल की कृषि आराजीयात थी जिनके पुत्र उदा, बख्तावर, भैरू एवं रूपा थे जिनके फोत होने के बाद जो नामान्तरण खोला है उसमें उदा के अन्य वारिसान का नाम अंकित है। वादी का वाद पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। वाद वर्णित कृषि आराजीयात मौजा सहाडा प0ह0 ईटावा की आराजी संख्या 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 किता– 24 कुल रकबा 8.1430 हैक्टर भूमि में वादी धन्ना पिता उदा का हिस्सा 1/24 घोषित किया जाता है। तथा जग्गा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 तक का 1/24, हक हिस्सा ,तथा उदा के अन्य वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/24–1/24 प्रत्येक का हक हिस्सा , शेष प्रतिवादीगण संख्या 6 से 20 तक का हिस्सा जमाबंदी अनुसार रखते हुए आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:26 IST
Reason: SelfAttested

... वादी व प्रतिवादीगण के मध्य तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु ... आराजीयात की फर्द जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक/भू.अभि./राजस्व/2023/4854 दिनांक 17.04.2023 के साथ फर्द बटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जिस पर वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारां रिपोर्ट सही होने एवं वादपत्र को अन्तिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया है। प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादी का वादपत्र अन्तिम डिक्री किए जाने योग्य पाया जाता है। अतः वादी का वादपत्र 88—53 राज0काश्त0अधि0 का मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है मौजा सहाडा प0ह0 ईटावा की आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से खता पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

1 अर्जुन पुत्र जग्गालाल हिस्सा 1/24, 2 प्रकाशचन्द्र पुत्र जग्गालाल हिस्सा 1/24, 3 गीता पुत्री जग्गालाल हिस्सा 1/24, हाल मु0 पत्नि नन्दा गुर्जर 4 राजीबाई पत्नि जग्गालाल गुर्जर हिस्सा 1/24, 5 धन्ना पुत्र उदा गुर्जर हिस्सा 1/6, 6 रूकमाबाई पुत्री उदा हिस्सा 1/6, हाल मु0 पत्नी गिरधारी गुर्जर 7 चन्दरू बाई पुत्री उदा हिस्सा 1/6, हाल मु0 घीसा गुर्जर 8 बालीबाई पुत्री उदा हिस्सा 1/6, हाल मु0 पत्नी नारायण गुर्जर 9 देउबाई पुत्री उदा हिस्सा 1/6, हाल मु0 पत्नी हीरा गुर्जर

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
56	0.210
61	0.210
196	0.665
204 मेसे	0.080
205	0.024
208	0.397
211 मेसे	0.348
211 मेसे	0.080
किता— 08	2.014हैक्टर

1 अर्जुन पुत्र जग्गालाल गुर्जर हिस्सा 1/9, 2 प्रकाशचन्द्र पुत्र जग्गालाल गुर्जर हिस्सा 1/9, 3 कालू पुत्र रूपा हिस्सा 1/6, 4 घीसा पुत्र रूपा हिस्सा 13/102, 5. श्रीमती चान्दीबाई पत्नी नाराण हस्सिा 1/72, 6 प्रहलाद पुत्र नाराण हस्सिा 1/72, ना0 बा0 जरिये माता चाँदीबाई 7. शंम्भूलाल पुत्र नाराण हिस्सा 1/72, 8 श्रीमती हीरूबाई पुत्री नाराण हिस्सा 1/72, 9 मांगीलाल पुत्र भैरू गुर्जर हिस्सा 1/36, 10 श्रीमती जेती पुत्री भैरू हिस्सा 1/9, 11 हरकू पुत्री बख्तावर हिस्सा 1/9, 12 गजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 5/216, 13 राजूसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 5/216, 14 रूपकंवर पत्नी लादूसिंह हिस्सा 1/108, 15 लक्ष्मणसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/12, 16 लाडबाई पत्नी भगवानलाल हिस्सा 2/51,

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
57	0.057
58	0.081
59	0.283
60	0.202
62	0.146
63	0.396
197	0.711
198	0.778
199	0.011
200	0.477
201	0.024
202	0.016
203	0.251
204 मेसे	0.341
206	0.024
209	0.129
210	0.105
211 मेसे	0.670
211 मेसे	0.160
211 मेसे	0.180
किता— 20	6.042 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:26 IST
Reason: SelfAttested

1 धन्ना पिता उदा हिस्सा गुर्जर 1/24, 2 रूकमा पुत्री उदा गुर्जर हिस्सा 1/24, हाल मु0 पत्नी गिरधारी 3 चन्दरूबाई पुत्री उदा हिस्सा 1/24, हाल मु0 पत्नी घीसा गुर्जर 4 श्रीमति बालीबाई पुत्री

उदा हिस्सा 1/24, हा0मु0 पत्नी हीरा गुर्जर 5 देउ पुत्री उदा हिस्सा 1/24, हा0मु0 पत्नी हिरा
6 अर्जुन पुत्र जग्गालाल गुर्जर हिस्सा 1/96, 7 प्रकाशचन्द्र पुत्र जग्गालाल गुर्जर हिस्सा 1/9
श्रीमति गीता पुत्री जग्गालाल गुर्जर हिस्सा 1/96, 9 राजीबाई पत्नी जग्गालाल गुर्जर हिस्सा 1/
10 कालू पुत्र रूपा गुर्जर हिस्सा 1/8, 11 घीसा पुत्र रूपा गुर्जर हिस्सा 13/136, 12 श्री
चान्दीबाई पत्नी नाराण हिस्सा 1/96, 13 प्रहलाद पुत्र नाराण हिस्सा 1/96, ना0बा0 जरिये
चान्दीबाई 14 शंम्भूलाल पुत्र नाराण हिस्सा 1/96, 15 श्रीमति हीरूबाई पुत्री नाराण हिस्सा 1/96,
मांगीलाल पुत्र भैरू गुर्जर हिस्सा 1/48, 17 श्रीमति जेती पुत्री भैरू गुर्जर हिस्सा 1/12, 18 हरकू
बख्तावर हिस्सा 1/12, 19 गजेन्द्रसिह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 5/288, 20 राजूसिंह पुत्र लादूसिंह हि
5/288, श्रीमति रूपकंवर पत्नी लादूसिंह हिस्सा 1/144, 22 लक्ष्मणसिंह पुत्र देवीसिंह हिस्सा 1/
23 श्रीमति लाडबाई पत्नी भगवान लाल सुथार हिस्सा 10/51

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
207	0.057
211मेसे	0.030
किता– 2	0.087 हैक्टर

उपरोक्त आराजियात का फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार खाता पृथक पृथक राजस्व रिकार्ड में अंकन कि
जाने का आदेश दिया जाता है !

अंतिम निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को लिखया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:26 IST
Reason: SelfAttested